रजिस्ट्रे सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 106] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 8, 1971/माघ 19, 1892
No. 106] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 8, 1971/MAGHA 19, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

*New Delhi, the 6th February* 1971

**S.O. 623.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following further amendment shall be made in its Notification No. 434/PB/69, dated the 7th November, 1970, namely:—

In column 3 of the Table appended to the said notification, for the existing entry numbered 4 against item "9. Ludhiana", the entry "Civil Defence Officer, Ludhiana", shall be substituted.

[No. 434/PB/69.]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

## भारत निर्वाचन आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1971

एस० ओ० 623.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा

निदेश देता है कि उसकी अधिसूचना सं० 434/पंजाब /69, तारीख 7 नवम्बर, 1970 में आगे और निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के मद "9-लुधियाना" के सामने स्तम्भ 3 में, सं० 4 पर की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर "सिविल रक्षा आफिसर, लुधियाना" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

[सं० 434/पंजाब/69.]

आदेश से,

ए० एन० सेन, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971